भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1382

बुधवार, 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक गलियारा

1382. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पलक्कड़ होते हुए नए कोयम्बतूर-कोच्चि औद्योगिक गलियारे की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है और इस हेतु समस्त आवश्यक मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित उक्त गलियारे के तहत आने वाली परियोजनाओं के अनुमोदन और पूर्णता के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस परियोजना के पूरा होने के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त गलियारा कब तक प्रचालित होगा?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास तथा कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) ने दिनांक 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में चेन्नई-बैंगलुरू औद्योगिक कोरिडोर (सीबीआईसी) के कोच्चि तथा कोयम्बतूर तक विस्तार और केरल तथा तमिलनाडु राज्य में चिह्नित एकीकृत विनिर्माण कलस्टर (आईएमसी) के समावेशन को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कोरिडोर के लिए अनुमोदित वित्तीय तथा संस्थागत ढांचा के अनुसार, परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। विस्तृत मास्टर प्लानिंग के लिए परामर्शदाता के चयन तथा इन आईएमसी की प्रारंभिक इंजीनियरिंग संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। पूर्णता संबंधी समयसीमा परियोजना विकास कार्यकलापों के शुरू होने की तारीख से 4-5 वर्ष तक होती है। चूंकि यह परियोजना वर्तमान में विकास चरण में है इसलिए परियोजना पूर्णता समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*****